भाग – I

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर

मेण्ड्राकलां, जिला – सरगुजा (छत्तीसगढ़)

निविदा प्रपत्र

श्रेणी – सेवाएं

पशु आहार की आपूर्ति हेतु

संचालन अवधि : 01 मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020 तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 13 फरवरी 2019
समय – दोपहर 01.00 बजे तक

निविदा खुलने की तिथि – 14 फरवरी 2019
समय – सुबह 10.30 बजे

अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट : रूपये 10,000.00
निविदा प्रपत्र मूल्य – रूपये 100.00

टिप्पणी .1. **लिफाफा भाग– I** में आवेदन (पृष्ठ क्रमांक 01—07) के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट, निविदा प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट (यदि निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल के वेबसाईट से डाउनलोड किया हुआ हो तो) एवं अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेज रखना होगा ।

2. **लिफाफा भाग– II** में केवल स्व–प्रमाणित दर सूची (पृष्ठ क्रमांक 08) ही रखना होगा।

14.01 19/01 23/1

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं सील

सैनिक स्कूल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन – 07774–261609, फैक्स– 07774–261630, ईमेल – sainikschoolambikapur@rediffmail.com

आवश्यक सूचना एवं निर्देश

निविदा कर्ता कृपया ध्यान दें कि सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र/वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल अम्बिकापुर को प्रेषित करें।

1. निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।

2. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत की जायेगी। **लिफाफा–I** में आवेदन के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट, निविदा प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट (यदि निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल के वेबसाईट से डाउनलोड किया हुआ हो तो) एवं अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेज तथा **लिफाफा–II** में केवल दर सूची ही रखा जायेगा।

3. निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय या फिर उससे पहले सैनिक स्कूल अम्बिकापुर कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर किसी भी कार्यालयिन दिवस पर 0900 बजे से 1300 बजे के मध्य प्रस्तुत की जा सकती है ।

4. **निविदा प्रपत्र सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जो सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित हो) में ही आवेदन करना अनिवार्य है, निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की छेड़खानी, प्रारूप में परिवर्तन या किसी अन्य प्रकार की प्रविष्टि करने पर निविदा प्रपत्र निरस्त करने के साथ ही निविदा कर्ता/फर्म के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है । निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा कर्ता का सील मुद्रा व हस्ताक्षर होना आवश्यक है।**

5. सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में निविदा दर समस्त टैक्स आदि के साथ बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के सैनिक स्कूल अंबिकापुर में पहुँचाकर, खाली करवा के स्टोर में रखने सहित होनी चाहिये।

6. **सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र प्रारूप में ही ₹ 20/- का कोर्ट टिकट चस्पा कर नोटरी से सत्यापित कराकर जमा करना अनिवार्य है। स्कूल की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम–शर्त (जिसमें निविदा कर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुये स्वयं का हस्ताक्षर कर) अनिवार्य रूप से निविदा के साथ जमा करें।**

7. यदि निविदा प्रपत्र स्कूल की वेब साईट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य (₹ 100/-) की राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

8. निविदा के साथ अमानत राशि (संबधित कार्य/अनुबंध/सामग्री प्रदाय हेतु निविदा में उल्लेखित अमानत राशि के अनुसार) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

9. यदि निविदा कर्ता को उक्त सामग्री प्रदाय करने का अनुभव है तो उक्त संबधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

10. फर्म से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि स्वहस्ताक्षरित सील मुद्रा सहित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

11. प्राचार्य, सैनिक स्कूल अंबिकापुर किसी भी निविदा को किसी भी समय, किसी भी स्तर पर, बिना कोई कारण बताये निरस्त या लंबित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

14 Jan 19   14.01   19/01   19/01

प्रशासनिक अधिकारी

प्राचार्य कृते

निविदा कर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन – 07774-261609, फैक्स– 07774–261630, ईमेल – sainikschoolambikapur@rediffmail.com

निविदा कर्त्ता का विवरण प्रपत्र

पशु आहार की आपूर्ति

Recent Passport Photo

1. निविदा कर्त्ता का पूरा नाम : ....
2. निविदा कर्त्ता के पिता का पूरा नाम : ....
3. फर्म का पूरा नाम : ....
4. निविदा कर्त्ता के निवास का पूर्ण पता : ....
....
....
5. फर्म का पूर्ण पता : ....
....
....
6. फर्म का दूरभाष नं. : ....
7. निविदा कर्त्ता का व्यक्तिगत मोबाईल नं. : ....
8. ई–मेल पता (यदि हो तो) : ....
9. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का माध्यम : स्कूल कार्यालय / स्कूल वेबसाईट
10. जी.एस.टी. (GST) पंजीयन नम्बर (यदि लागू हो तो) : ....
11. पैन (PAN) कार्ड नम्बर : ....
12. आधार (AADHAR) नम्बर : ....
13. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित व्यवसाय स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र नम्बर (Business Eastablishment Registration Certificate Number) (यदि लागू हो तो) : (क) प्रमाण पत्र नम्बर ....
....
(ख) वैधता अवधि ....
से .... तक
14. शपथ पत्र दिनांक : ....
15. निवास प्रमाण पत्र का विवरण : ....
16. **अमानत राशि (EMD) व निविदा प्रपत्र मूल्य का विवरण :–**

	अमानत राशि का विवरण	निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण
(क) जारी कर्त्ता बैंक का नाम :	....	....
(ख) राशि रूपये :	....	....
(ग) डिमांड ड्राफ्ट/रसीद क्र. :	....	....
(घ) दिनांक :	....	....

17. निविदा प्रपत्र की कुल पृष्ठ संख्या .... है एवं मेरे द्वारा पृष्ठ क्रमांक 04 के कंडिका 3 में दिए गए सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि निविदा पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं सील

14.01 17/01 23/01

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन – 07774–261609, फैक्स– 07774–261630, ईमेल – sainikschoolambikapur@rediffmail.com

निविदा के सामान्य नियम एवं शर्तें

पशु आहार की आपूर्ति

1. सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पक्ष में अधोहस्ताक्षर द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही है, जो निर्धारित दिनांक एवं समय पर सैनिक स्कूल अम्बिकापुर कार्यालय में डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती है। **ऐसे ठेकेदार जिनकी पशु आहार की स्वयं की दुकान/थोक व्यापारी है, केवल वे ही निविदा दे सकते हैं। बिचौलिए/एजेंट स्वीकार्य नहीं होगें ।**

2. निविदाएं मजबूत लिफाफे में सेवाप्रदाता का पूर्ण पता एवं "**पशु आहार की आपूर्ति हेतु निविदा**" स्पष्ट अक्षरों में अंकित करके प्रस्तुत की जाएगी। निविदा का नाम एवं निविदा कर्त्ता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित न होने पर लिफाफा खोला नहीं जाएगा ।

3. **लिफाफे भाग–। में निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार (जो लागू हो) स्व–प्रमाणित दस्तावेज व अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है, जिसके अभाव में निविदाएं निरस्त की जा सकती है ।**
   - (क) वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वैध जी.एस.टी (GST) पंजीयन नम्बर की प्रतिलिपि (अगर लागू हो तो) ।
   - (ख) आधार कार्ड की प्रतिलिपि ।
   - (ग) पैन कार्ड की प्रतिलिपि ।
   - (घ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित व्यवसाय स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र (Business Eastablisement Registration Certificate) की प्रतिलिपि (अगर लागू हो तो) ।
   - (ङ) निर्धारित प्रारूप में दिए गए शपथ–पत्र **(परिशिष्ट 'क')** को 20 रूपये का कोर्ट टिकट चस्पा कर नोटरी द्वारा सत्यापित करके प्रस्तुत करना होगा ।
   - (च) सैनिक स्कूल में सम्पर्क करने हेतु अधिकृत किए गए व्यक्ति की जानकारी ।
   - (छ) "प्राचार्य सैनिक स्कूल अम्बिकापुर" के पक्ष में देय अमानत राशि हेतु विज्ञापित निर्धारित राशि रूपये 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जिसके पीछे निविदा कर्त्ता का नाम, पूरा पता, मोबाईल नं. तथा निविदा का विवरण स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए ।
   - (ज) स्कूल के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 100/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसके पीछे निविदा कर्त्ता का पूरा नाम, पूरा पता, मोबाईल नं. तथा निविदा का विवरण स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए । यदि स्कूल कार्यालय से निविदा प्रपत्र लिया गया है तो सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के रसीद संलग्न करें।
   - (झ) निविदा कर्त्ता के निवास प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।

4. आपूर्ति हेतु समस्त दरें सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के लिए समस्त करों सहित होनी चाहिए । किसी भी प्रकार का टैक्स, अनुमोदित दर के अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत किए गए देयक से विद्यालय द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. (TDS) की कटौती की जाएगी ।

5. निविदा कर्त्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि समय–सीमा समाप्त होने तक सैनिक स्कूल प्रबंधन के पास सुरक्षा निधी (Contract Security) के रुप में सुरक्षित रहेगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज विद्यालय प्रशासन द्वारा देय नहीं होगा । सफलतापूर्वक सेवाएं पूरी होने तथा अमाँग प्रमाण पत्र (No Demand Certificate) व निविदा कर्त्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात ही उक्त राशि वापस की जाएगी । सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी होने की स्थिति में प्रशासन द्वारा अमानत राशि जब्त की जाएगी । अंतिम रूप से निविदा स्वीकार नहीं होने की स्थिति में उनकी अमानत राशि निविदा कर्त्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जाएगी।

14-01 19/01 23/01

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं सील

6. निविदा प्रपत्र को बेहद सावधानी से भरें । प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट–छांट अथवा ओव्हर राइटिंग नहीं होनी चाहिए । यदि कोई आंकडा सुधारना अत्यंत आवश्यक है तो उसे केवल सीधी लकीर से काटकर नया आंकडा बगल में लिख कर हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है । स्कूल द्वारा माँगी गई मात्रा/पैकिंग में काट छांट करने के बजाय निर्धारित मात्रा का मूल्य ही लिखा जाना अनिवार्य होगा ।

7. अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी । अन्य किसी भी रूप में प्राप्त अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी । डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदा कर्त्ता का नाम, पूर्ण पता एवं कार्य का नाम, जिसके लिए निविदा डाली जा रही है, स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।

8. पशु आहार की आपूर्ति प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार आपूर्ति पत्र अथवा स्कूल दूरभाष पर सूचना के आधार पर होगी । आपूर्ति में विलम्ब, गुणवत्ता में कमी पाए जाने या आपूर्ति नहीं करने पर अनुबंध की शर्तों के आधार पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा । आपूर्ति की गुणवत्ता की पूरी संतुष्टि के उपरान्त ही आपूर्ति स्वीकार की जाएंगी, अन्यथा आपूर्ति वापस की जाएगी । स्कूल इस स्थिति में खुले बाजार से सामान लेने के लिए स्वंतत्र होगा जिसका नुकसान निविदा कर्त्ता को वहन करना होगा।

9. माह में हुई कुल आपूर्ति का देयक के दो प्रतियों में हर माह के प्रथम सप्ताह में कार्यालय में दिया जाए व उसका भुगतान 15 दिन के अन्दर NEFT/RTGS या एकाउन्ट देयी चेक द्वारा किया जायेगा ।

10. आपूर्ति के साथ आपूर्ति की गई सामग्री का चालान दो प्रतियों में भेजना होगा । निविदा कर्त्ता किसी भी स्कूल कर्मचारी को किसी भी प्रकार से फायदा या प्रभावित नहीं करेगा ।

11. निविदा कर्त्ता द्वारा निवेदित की गई दरें **29 फरवरी 2020** तक बनाई रखनी होगी । जरूरत पड़ने पर प्राचार्य सैनिक स्कूल अम्बिकापुर द्वारा उक्त निविदा को तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है । ऐसा कोई सामग्री जो निविदा में नहीं है उसका रेट कॉन्ट्रेक्ट भविष्य में करने के लिए निविदा कर्त्ता को तैयार होना होगा। किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि हेतु किया गया निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । निविदा कर्त्ता द्वारा समय वृद्धि के समय स्वीकृत की गई पशु आहार की आपूर्ति करनी होगी ।

12. **यदि निविदा कर्त्ता निर्धारित समयावधि में सामान की आपूर्ति करने में असफल पाया जाता है तो जमा अमानत राशि जब्त की जाएगी या निविदा निरस्त की जा सकती है तथा उक्त आपूर्ति खुले बाजार से क्रय की जाएगी जिसकी अंतर की राशि अमानत राशि से कटौती की जाएगी । अंतर की राशि अमानत राशि से अधिक होने की स्थिति में भुगतान निविदा कर्त्ता से ही वसूली की जाएगी ।**

13. **निविदाएं निश्चित समय एवं तारीख को अथवा उसके पूर्व निविदा पेटी में डाली जा सकती है। पशु आहार के सैम्पल निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। जो निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह खोली नहीं जायेगी तथा मूलतः निविदा कर्त्ता को वापस लौटा दी जायेगी।** डाक विभाग में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब के लिए स्कूल प्रशासन जवाबदार नहीं होगा एवं ऐसे प्रकरण में निविदा कर्त्ता की कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

14. किसी भी स्तर पर फर्जी दस्तावेज पाये जाने की स्थिति में निविदाएं निरस्त करने के साथ–साथ निविदाकार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी ।

15. निविदा प्रक्रिया में सैनिक स्कूल अम्बिकापुर का कोई भी कर्मचारी या उसके परिजन भाग नहीं ले सकेंगे। कोई भी ऐसी संस्था जो किसी भी प्रकार से किसी शासकीय/सैनिक स्कूल द्वारा काली सूची में डाली गई है स्वीकार नहीं होगी। निविदा कर्त्ता स्वयं ही थोक व्यापारी/पशु आहार के दुकान का मालिक होना अनिवार्य है।

16. स्कूल, निविदा कर्त्ता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर पर सामग्री का क्रय करने एवं किसी कार्य को कराए जाने के लिए बाध्य नहीं होगा। स्कूल सामग्री की गुणवत्ता एवं निविदा कर्त्ता के समान कार्य के अनुभव के आधार पर स्कूल हित में किसी भी सामग्री को क्रय करने एवं किसी भी निविदाकार से कार्य कराए जाने का निर्णय ले सकता है।

14 Jan 19 14.01 14/01

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं सील

17. किसी भी स्थिति में स्कूल द्वारा किसी भी कार्य के लिये निविदा कर्त्ता को किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय या कोई अन्य प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।

18. निविदा कर्त्ता द्वारा प्रयादित सामग्री यदि नमूना के अनुरूप संतोषप्रद नहीं पाई जाती है या फिर फर्म द्वारा स्कूल के क्रयादेश की मात्रा के अनुरूप प्रदान नहीं की जाती है या अनुबंध निर्धारित अवधि से पहले खत्म किया जाता है तो स्कूल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि निविदा कर्त्ता की अमानत की राशि को जब्त करते हुए फर्म को काली सूची (Black List) में डाल सकता है एवं नियमानुसार फर्म के विरूद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

19. निविदा कर्त्ता को स्कूल द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा एवं इस संबध में स्कूल से जारी होने वाले अन्य नियम भी लागू होंगे।

20. किसी भी स्थिति में निविदा कर्त्ता को फर्म की सामग्री का प्रदाय/कार्य संपादन स्कूल के कार्य/क्रयादेश के अनुरूप पूर्ण करने के पूर्व अग्रिम भुगतान या आंशिक भुगतान की पात्रता नहीं होगी।

21. आवश्यकतानुसार निविदा में दर्शायी गई दरों में निगोसिएशन भी किया जा सकता है। निविदा में दर्शायी गई दरों में समस्त व्यय सम्मिलित माना जायेगा।

22. कार्य/सामग्री प्रदाय के दौरान यदि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण आदेशित कार्य सम्पन्न करने में बाधा उत्पन होती है तो निविदा कर्त्ता के आवेदन के परीक्षणोपरांत, प्राचार्य, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के समक्ष स्वीकृति प्राप्त कर, निविदा कर्त्ता के आवेदन पर समयवृद्धि (कटौति के बिना या कटौति के साथ) मान्य की जा सकेगी। पंरतु निविदा कर्त्ता को इस विलंब के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। अवधि में वृद्धि (कटौति के बिना या कटौति के साथ) किये जाने का अधिकार प्राचार्य, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पास सुरक्षित है।

23. स्कूल हित में यदि आवश्यक होगा तो किसी भी कार्य/सामग्री प्रदाय हेतु एक से अधिक निविदाकार को निगोसिएशन के उपरांत क्रय आदेश दिया जा सकेगा। निविदा कर्त्ता को स्कूल द्वारा निविदा मान्य/स्वीकृत होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार निगोसिएशन एवं अनुबंध के लिए स्कूल में बुलाए जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

24. निर्माता कंपनी/उत्पादन कर्त्ता/वितरक द्वारा समय–समय पर किसी भी सामग्री पर यदि कोई छूट किसी भी स्कीम के तहत उपभोक्ता को दी जाती है तो ऐसी छूट एवं स्कीम का लाभ निविदा कर्त्ता स्कूल को प्रदान करने हेतु बाध्य होगा। अन्यथा इस स्थिति में अंतर की राशि निविदा कर्त्ता के देयक से कटौती करने को सैनिक स्कूल प्रशासन स्वतंत्र होगा।

25. निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने के संबंध में समस्त अधिकार प्राचार्य सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पक्ष में सुरक्षित रहेंगे । निविदाएँ केवल L1 होने से मान्य नहीं होंगी, सामान की गुणवत्ता/सामान की आकस्मिक प्रदान करने के क्षमता व सैम्पल की गुणवत्ता के आधार पर निविदाएँ परखी जाएँगी । यदि किसी भी स्तर पर प्राचार्य को लगता है कि स्कूल हित में निविदाएँ निरस्त करनी है तो प्राचार्य ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

26. निविदा कर्त्ता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर व सील लगाना अनिवार्य है । निविदा कर्त्ता को सभी दस्तावेज एक लिफाफे में रखना है और लिफाफे के ऊपर **''पशु आहार की आपूर्ति हेतु (भाग– I)''** लिखना है तथा दर सूची अलग लिफाफे में रखना है और लिफाफे के ऊपर **''पशु आहार की आपूर्ति हेतु (भाग– I I)''** लिखना है ।

27. **निविदाएँ दो लिफाफे भाग–I और भाग–II में जमा की जाएँगी । निविदा खोलने के समय पहले भाग–I खोला जाएगा। यदि भाग–I के सभी दस्तावेज संतोषजनक होंगे, तभी भाग–II को खोला जायेगा अन्यथा भाग–I के खारिज होने पर निविदा की दावेदारी रद्द कर दी जायेगी । अतः निविदा के लिए आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर भाग–I और भाग– II लिखना अत्यन्त आवश्यक है, यदि भाग– I और भाग– II अंकित नहीं है तो निविदा के लिए आवेदित लिफाफे खोले नहीं जाएँगे।**

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं सील

14.01 15/01 23/01

परिशिष्ट – 'क'

शपथ–पत्र

(रू 20 का कोर्ट टिकट चस्पा कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया हुआ)

मैं .... आत्मज .... उम्र .... निवासी .... निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि –

1. यह कि मेरी फर्म/कंपनी जिसका नाम .... है, तथा .... में स्थित है । मेरी फर्म को पशु आहार के व्यापार संबंधित व्यवसाय करने का सर्टिफिकेट प्राप्त है और वो आज की तारीख में वैध है ।

2. मेरे फर्म/कंपनी का जीएसटी टीन नं. .... है या मेरे फर्म/कंपनी की वार्षिक आय रुपये 20 लाख से कम है, जिसके कारण मेरा फर्म/कंपनी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। (जो लागू ना हो उसे काट दें)

3. यह कि मैं/मेरी फर्म किसी भी विभाग में आज दिनांक तक काली सूचीबद्ध (Black Listed) नहीं है । मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य नहीं है। मैं ठेका मिलने पर उसे उपकिराये (Sublet) पर नहीं करुँगा।

4. मैं, भाग– II सूची में दी गयी समस्त वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम हूँ तथा आपूर्ति करने का अधिकार मैं किसी अन्य फर्म को हस्तान्तरित नहीं करुँगा ।

5. मैं निर्धारित समय के अन्दर त्वरित व सामान देने में सक्षम हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत या उपयोग विहीन सामग्री प्रदाय की जाती है तो स्कूल द्वारा दिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

6. यह कि स्कूल द्वारा दी गई समस्त विशेष व सामान्य नियम–शर्त का मेरे द्वारा भली भाँति पठन कर लिया गया है एवं समझ लिया गया है। मुझे समस्त विशेष व सामान्य नियम–शर्तें मान्य हैं एवं निविदा कर्त्ता/फर्म पर बंधनकारी है।

7. यह कि मेरे विरूद्ध थाना अभिलेख में कोई भी आपराधिक प्रकरण/शिकायत दर्ज नहीं है ।

8. मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा में यदि किसी भी प्रकार की दस्तावेजों/जानकारी में कमी होगी या फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य होगी एवं नियत तिथि व समय के पश्चात् मेरी निविदा स्कूल को प्राप्त होती है या स्कूल द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त विशेष एवं सामान्य नियम–शर्तें, दिशा–निर्देश का यदि मैंने पालन नहीं किया है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी एवं स्कूल प्रशासन का कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

उपर्युक्त जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है ।

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता

सत्यापन

यह कि मैं शपथकर्त्ता, उपरोक्तानुसार शपथ पत्र आज दिनांक को बिना किसी दबाव के एवं पूर्ण होश–हवास में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर रहा हूँ ।

14 Jan 19 14-01 15/01 19/01

हस्ताक्षर सत्यापनकर्त्ता

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट – 'ख'

भाग – II

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर, मेण्ड्राकलां (छ.ग.)

(रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित)

टेलीफोन– 07774261609, फैक्स– 07774261630, ईमेल– sainikschoolambikapur@rediffmail.com

सामग्री दर सूची

पशु आहार की आपूर्ति

नोट : दरें समस्त करों सहित सैनिक स्कूल अम्बिकापुर, मेण्ड्राकलां के गोदाम में पहुँचाकर अनलोड करने सहित होनी चाहिए ।

Ser No	Name of the Item	Brand/ Trade Mark	Accounting Unit (Kgs)	Rate (In Rupees)
(a)	Wheat Bran (चोकर)	अच्छी गुणवत्ता	किलोग्राम	
(b)	Black Gram Broken (चना दलिया)	अच्छी गुणवत्ता	किलोग्राम	
(c)	Corn Broken (मक्का दलिया)	अच्छी गुणवत्ता	किलोग्राम	
(d)	Oats broken (जौ दलिया)	अच्छी गुणवत्ता	किलोग्राम	
(e)	Salt (नमक)	अच्छी गुणवत्ता	किलोग्राम	
(f)	Gud (गुड़)	अच्छी गुणवत्ता	किलोग्राम	
(g)	अरन्डी का तेल	अच्छी गुणवत्ता	किलोग्राम	

1. मैं स्कूल प्रशासन द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति करूँगा । यदि प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता खराब होती है या गलत सामग्री प्रदाय की जाती है तो उसको वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी होगी । स्कूल प्रशासन द्वारा आदेशित करने पर संचालन अवधि के बाद अगले तीन महीने तक उपरोक्त दरों पर सामग्री की आपूर्ति करूँगा।

2. स्कूल द्वारा मांगे जाने पर ठेकेदार को मांगी गई सामग्री दिए गए दरों पर उपलब्ध कराना होगा अन्यथा स्कूल प्रशासन खुले बाजार से सामान उठाने के लिये स्वतंत्र होगा।

14 Jan 19   14.01   19/1   19/01

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं सील